

आयुक्त पुलिस अधीक्षक, पोस्टल

आयुक्त पुलिस अधीक्षक, पोस्टल

28, 188 Reg. Act

86, 2017

हुकम या कार्यवाही नया इनिशियिएस/केस

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

आयुक्त  
पुलिस  
को  
को

7/11/17

*[Signature]*

आयुक्त पुलिस अधीक्षक, पोस्टल

7/17

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकी डप। सिपाही  
इन्तजाब तलबी दिनांक 8/12/17 को पेश है।

आयुक्त  
पुलिस  
को

आयुक्त  
पुलिस  
को

29/11

आयुक्त पुलिस अधीक्षक, पोस्टल

7/11/17

7/17

पत्रावली पेश हुई। वकील वाकी डप।

आयुक्त पुलिस अधीक्षक, पोस्टल  
दिनांक 28/12/17 को पेश है।

आयुक्त  
पुलिस  
को

7/11/17



अदालत मुकाम

बनाम

नं. रान

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

2/6

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 11/9/19

1/9

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 16/2/19

16/1/19

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 17/2/20 को पेश  
हो।

12/2/20

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 8.4.2020

8/4

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 01/06/2020

01/6/20

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 20/8/2020

20/8

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 23/9/2020

23.9.20

बनावली पेश हुई। घात पोटासीन प्राधिकार  
धमला अधकार पर बीर कार्यों में व्यस्त होंगे  
इ वेही इस्तक को जाकर बनावली दिवां- 1/12-2020

1/12 बनावली पेश हुई अकुलामे ठा. मिह  
जवाब अधकार पेश दिनांक 6/1/21 को पेश

मधील  
हून

6/11/21 १०/११/२१ २२/१०/२१ २२/१०/२१  
१०/११/२१ २२/१०/२१ २२/१०/२१  
२२/१०/२१ २२/१०/२१ २२/१०/२१

२२/१०/२१ १०/११/२१ २२/१०/२१  
१०/११/२१ २२/१०/२१ २२/१०/२१

१०/११/२१ २२/१०/२१ २२/१०/२१  
२२/१०/२१ २२/१०/२१ २२/१०/२१

27/4 २७/४/२१ २७/४/२१  
२७/४/२१ २७/४/२१ २७/४/२१

15/6/21 १५/६/२१ १५/६/२१  
१५/६/२१ १५/६/२१ १५/६/२१

4/8/21 ४/८/२१ ४/८/२१  
४/८/२१ ४/८/२१ ४/८/२१

13/9/21 १३/९/२१ १३/९/२१  
१३/९/२१ १३/९/२१ १३/९/२१

29/9/21 २९/९/२१ २९/९/२१  
२९/९/२१ २९/९/२१ २९/९/२१

10/11/21 १०/११/२१ १०/११/२१  
१०/११/२१ १०/११/२१ १०/११/२१

२६/११/२२ २६/११/२२ २६/११/२२



2048 की जेसुसकिल कारतुमर के दौर  
पर कल्ला साबित करने हेतु इलाज  
इस संबंध में पत्रावली में पेश कर रहे  
हैं। वादों इस कल्ले के आधार पर  
रूप को खातेदारी कोषों का अधिकारी  
समझता है। अतः वादों को अपने स्वयं  
से राजकीय भूमि पर कल्ले के आधार  
पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जायें

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत  
जवाब एवं वदय में दलील दी गई  
की प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दलीलें  
से स्पष्ट है कि वादों द्वारा  
राजकीय भूमि पर अधिकारी के रूप में  
कल्ला किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा  
दलील दी गई कि कल्ले के आधार पर  
खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किया जा  
सकते। राजकीय भूमि से वेदलत कल्ले  
हेतु प्राप्त अधिकारों के जो प्रतिवादीगण का

राजस्थान भू-राजस्व कानून, 1956

के तहत प्राप्त हैं, का इस्तेमाल करते हुए ही प्रतिवादी द्वारा अविश्वसनीय के खिलाफ जेदाली की कार्रवाई की जा रही है। अतः वादी का खातेदारी घोषणा का वार निरस्त करने एवं वादी को राजस्व भूमि से जेदाली किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन एवं

जिस पर मतभेद करने पर मुद्रातः विषय issue उभरकर सामने आते हैं।

- ① वादीना खातेदारी घोषणा का अधिकारी है एवं खसरा नं 231/1 पर खातेदारी घोषणा किया जाये। इसकी डिप्लोमा वादी पर रहेगी। परंतु वादी द्वारा भाज करने से संबंध दस्तावेज प्रस्तुत किने। उमा कला भी सेक्ट 2043 के परिचाल से हैं। अतः वादी खातेदारी घोषणा हेतु कोई लक्ष्य आधार प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे अतः खातेदारी घोषणा हेतु वादी की इलाज अस्वीकार है।

2 वास्तविक रूप से प्रति वर्ष के लिए  
 (सामान्य विषयों पर) प्राप्त करने हेतु  
 दो गैर-संवर्धित भी इस आधार पर कार्य  
 किए जाते हैं जो कि प्रतिक्रियाओं  
 को ध्यान में रखकर संतुलन में रखने  
 के लिए होते हैं पर प्रतिक्रियाओं के लिए  
 दरकार की कारणात्मक विवेचनाओं को  
 शामिल है।

वास्तविक रूप से प्रति वर्ष के लिए  
 संतुलन में रखने हेतु संभव  
 है कि इस मुद्दे पर विचार, 1920  
 के बाद ही। इन विषयों में संतुलन  
 को ध्यान में रखकर विचार जा रहा है।  
 मुद्दे पर आंकड़ों / विचारों की कमी  
 है। अतः वास्तविक रूप से  
 संतुलन के क्षेत्रों में से बाहर होने  
 से सावधानी बरतनी है।

वास्तविक रूप से प्रति वर्ष के लिए  
 संतुलन में रखने हेतु